

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2130
दिनांक 12.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
खाड़ी देशों में भारतीयों के विरुद्ध दर्ज मामले

2130. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान रोजगार के लिए खाड़ी देशों में गए भारतीयों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार उन्हें देश की बुनियादी जीवन स्थितियों और कानूनों के बारे में कोई जानकारी प्रदान करती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क और ख) निजता कानूनों के कारण, अधिकांश देश भारतीय नागरिकों के विरुद्ध दर्ज मामलों का विवरण साझा नहीं करते हैं, जिसमें हिरासत, गिरफ्तार, कारावास आदि संबंधी मामले शामिल हैं। सरकार को ऐसे मामलों के बारे में तभी पता चलता है जब इनके विषय में विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों को सूचित किया जाता है। कुछ खाड़ी देशों में भारतीय मिशन/केन्द्रों के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की संख्या इस प्रकार है:

देश	कैद भारतीयों की संख्या
सऊदी अरब	2719
बहरीन	1002
कतर	896
ओमान	137

जैसे ही किसी भारतीय दूतावास/कोंसलावास को किसी भारतीय नागरिक को हिरासत में लेने/गिरफ्तार किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, संबंधित पदाधिकारी मामले के तथ्यों का पता लगाने, उसकी भारतीय राष्ट्रियता का पता लगाने और उसका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हिरासत में लिए गए/गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिक को कोंसली सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क करते हैं। दूतावास / कोंसलावास यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहते हैं कि ऐसे मामलों में भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

ऐसे मामलों में भारतीय नागरिकों की रिहाई और प्रत्यावर्तन के मुद्दे को नियमित रूप से विदेशस्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों द्वारा संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है। विदेशों में स्थित मिशन/केन्द्र भी जांच और न्यायिक कार्यवाही को शीघ्रातिशीघ्रसंपन्न करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करते हैं। सरकार अन्य देशों के साथ कोंसली और अन्य परामर्श के दौरान भी इस मुद्दे पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार विदेश स्थित अपने मिशनों/केन्द्रों के माध्यम से और उच्च स्तरीय यात्राओं के दौरान, विदेशों में मौजूद भारतीय कैदियों की सजाओं को माफ करने /कम करने के लिए भी प्रयास करती है। भारत ने अनेक देशों के साथ कैदियों के स्थानांतरण के संबंध में भी संधियां संपन्न की हैं जो किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को जेल की सजा पाने के लिए उसके गृह देश में स्थानांतरित करने की अनुमति देती हैं।

विदेशों में कैद भारतीय नागरिकों को हर संभव कोंसली सहायता प्रदान करने के अलावा, भारतीय मिशन और केन्द्र जहां भी आवश्यक हो कानूनी सहायता प्रदान करने में भी सहायता करते हैं। मिशन और केन्द्र, जहां भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में होते हैं, वहां वकीलों का एक स्थानीय पैनल भी रखते हैं। संबंधित भारतीय दूतावास/कोंसलावास द्वारा सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी भी भारतीय कैदी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना विदेशों में भारतीय मिशनों और केन्द्रों में की गई है ताकि संकट की स्थिति में प्रवासी भारतीय नागरिकों को साधन परीक्षण के आधार पर सहायता प्रदान की जा सके। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत प्रदान की गई सहायता में भारतीय कैदियों को कानूनी सहायता के साथ-साथ प्रत्यावर्तन के दौरान यात्रा दस्तावेज / हवाई टिकटों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।

कामगारों को गंतव्य देश में रहने की स्थिति, इसके विनियमों, सॉफ्ट स्किल्स, क्या करें और क्या न करें आदि से अवगत कराने के लिए प्रस्थान पूर्व अनुकूलन और प्रशिक्षण (पीडीओटी) प्रदान किया जाता है। दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक 2,22,387 से अधिक संभावित प्रवासियों को पीडीओटी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
